

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 125 : ¹[****]

-
- 1** Rule 125 omitted by Noti. No. 24/2022–Central Tax, dt. 23-11-2022 w.e.f. 01-12-2022. Earlier it read as under,
- ^A**[Rule 125 : Secretary to the Authority**
An officer not below the rank of Additional Commissioner (working in the ^B[Directorate General of Anti-profiteering]) shall be the Secretary to the Authority.]"
- A** Substituted by Noti. No. 14/2018, dt. 23-03-2018. Earlier it read as under,
"Rule 125 : Secretary to the Authority-
The Additional Director General of Safeguards under the Board shall be the Secretary to the Authority."
- B** Substituted "Directorate General of Safeguards" by Noti. No. 29/2018–Central Tax, dt. 06-07-2018.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 125 : 1[.....]

- 1 अधिसूचना क्रमांक 24/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.11.2022 द्वारा नियम 125 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.12.2022) विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था
- "**A[नियम 125 : प्राधिकरण का सचिव**
अपर आयुक्त (B[मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय] में कार्यरत) की पंक्ति से अनिम्न का अधिकारी, प्राधिकरण का सचिव होगा।]"
- A** अधिसूचना क्रमांक 14/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा नियम 125 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2018) प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था
- "**नियम 125 : प्राधिकरण का सचिव**
बोर्ड के अधीन रक्षोपाय अपर महानिदेशक, प्राधिकरण का सचिव होगा।"
- B** अधिसूचना क्रमांक 29/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा "रक्षोपाय महानिदेशालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित